


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज डी.आर. मेघवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) सू.अ.अपील संख्या 189/2023</p>	<p>तारीख आदेश जो द्वारा की में हुए</p>
<p>28.08.23</p>	<p>अपीलार्थी डी.आर. मेघवाल पुत्र प्रेमराम निवासी ग्राम सरेचां, बस स्टेण्ड के पास, पोस्ट लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2023 में (1) प्रार्थी देवाराम पुत्र प्रेमराम द्वारा कार्यालय तहसीलदार, लूणी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.2022 पर आदिनांक तक की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) </p>	<p>28.08.23</p>